

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,  
योजना भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ17(8)4 / डीईएस / रा.ज.आ.यो / 2019 /

दिनांक: 20.04.2021

परिपत्र-4

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अभिभाषण में "Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की घोषणा की गयी है।" उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) प्रारंभ की गई है। इस स्कीम की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु जन आधार कार्ड / जन आधार रसीद संख्या को आवश्यक किया गया है।

अन्य राज्यों में निवास कर रहे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों के परिवारों को भी Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऐसे परिवारों को जन आधार नामांकन हेतु योग्य माना जाकर, इन परिवारों को भी जन आधार कार्ड में नामांकन की सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है।




(निरंजन आर्य)  
मुख्य सचिव  
एवं अध्यक्ष,  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक: एफ17(8)4 / डीईएस / रा.ज.आ.यो / 2019 /

दिनांक 20.04.2021

प्रतिलिपि:—निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक(तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
10. एस.ए./ए.सी.पी.(उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।



(नवीन जैन)

शासन सचिव, आयोजना एवं  
पदेन महानिदेशक